न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 240/2018

RCMS Case No. 2018/00266

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. भलाराम पुत्र जोराराम 2. बालुराम उर्फ वालाराम पुत्र भलाराम 3. दाखु पत्नी भलाराम जातिगण बावरी निवासीगण जाड़न जागीर तहसील मारवाड़ जंक्शन		1. कानाराम पुत्र पुराराम जाति बावरी जाडन जागीर हाल निम्बली ब्राहम्णान, तहसील रोहट जिला पाली 2. पोकरराम पुत्र भलाराम जाति बावरी निवासी जाडन जागीर 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 7/9/2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 03/2016 बअनवान कानाराम बनाम भलाराम अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कानाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) के तहत प्रस्तुत किया। जिसमें यह निवेदन किया कि अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट द्वारा उसकी खातेदारी भूमि ग्राम जाडन जागीर के खसरा नम्बर 574/1, 572/4, 574, 574/3, 574/4 व 574/5 की भूमि पर विधि विरूद्ध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है, जिसे हटवाया जाकर भूमि पुनः प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को सुपुर्द कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलाण्ट्स से व्यक्तिशः तामील ही नहीं हुए, इसके बाद

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः नोटिस जारी करने के आदेश पारित किए गए, किन्तु किसी प्रकार के नोटिस अपीलाण्ट के नाम जारी नही किए गए। अपीलाण्ट को उक्त प्रकरण की जानकारी ही नहीं थी। जब पटवारी हल्का एवं टीम द्वारा मौके पर नापचौक करने हेतु पहुँचे, तो अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना ही जैर अपील निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है तथा मौके पर अपीलाण्ट के रहवासी कच्चे मकानात बने है, जिननें वे निवास करते है। रेस्पोडेन्ट अब जैर अपील आदेश की आड में रेस्पोडेन्ट्स को उनके मकानात एवं भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। पूर्व में जो सीमांकन किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण आधारित था, वह सीमांकन भी अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में किया गया तथा अपीलाण्ट को किसी प्रकार का नोटिस आदि जारी ही नहीं किया गया। अपीलाण्ट्स के नाम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किए गए, वे समस्त नोटिस रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा तामील किए गए, जो अपीलाण्ट के साथ निवास ही नहीं करता है। इस कारण उक्त तामील पर्याप्त तामील की परिभाषा में नहीं आता है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे पर्याप्त तामील मानते हुए अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त योग्य है। अपीलाण्ट निर्विवादित रूप से अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, वह अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में तैयार एवं प्रस्तुत की गई है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करने तथा रेस्पोडेन्ट को अनुचित लाभ पहुँचाने की मंशा से जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 14.02.2010 पेज 132, आर0आर0टी0 2008 (1) पेज 28 तथा आर0आर0डी0 1985 पेज 358 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज है। इसी आधार पर अपनी खातेदारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की है, जिसका उसे पूर्ण अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलाण्ट के परिवार के व्यस्क सदस्य से तामील करवाए गए है, जो विधिवत तामील की श्रेणी में शुमार होने से तामील मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जेर अपील वादस्थ भूमि के सीमांकन हेतु गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी यह तथ्य साबित होता है कि अपीलाण्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि पर कब्जा किया गया है। जो विधि विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत

अति. जिला कलेक्टर, पाली

संक्षिप्त विचारण की कार्यवाही करते हुए अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करते हुए पुनः कब्जा अनुसूचित जाति के व्यक्ति, जो कि खातेदार है, को सुपुर्द करने के प्रावधान है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी, इसके बावजूद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त आर0बी0जे0 1996 (3) पेज 45, आर0बी0जे0 (6) 1999 पेज 161, आर0बी0जे0 (8) पेज 317 तथा आर0बी0जे0 (8) 2001 पेज 364 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम जाडन जागीर के खसरा नम्बर 574/1, 572/4, 574, 574/3, 574/4 व 574/5 की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अतिक्रमण किये जाने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को जरिये नोटिस तलब किया गया। न्यायालय द्वारा जारी नोटिस रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा तामील किए गए, जिन्हे आदेशिका दिनांक 20.07.2016 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत तामील माना। इसके पश्चात आदेशिका दिनांक 25.07.2016 को उक्त नोटिस पोकरराम से तामील होने के कारण पर्याप्त तामील नहीं होना मानते हुए पुनः नोटिस जारी करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में कोई नोटिस जारी किया गया हो, ऐसा कोई तथ्य अथवा नोटिस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नहीं है। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) में यह प्रावधित किया गया है कि "अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों की संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बेदखली – (1) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में कुछ भी बात होते हुए भी वह अतिक्रमी जिसने कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है अथवा कब्जा बनाया रखा है, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के आवेदन पत्र (या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी लोक सेवक के विहित रीति से आवेदन करने पर) जो कि उसे बेदखल कराने के हकदार हों, बेदखली का दायी होगा और प्रत्येक उस कृषि वर्ष के लिए अथवा उसके भाग के लिए, जिसमें कि वह ऐसे कब्जे में रहा है, शास्ति के रूप में ऐसी राशि देने का और दायी होगा, जो कि वार्षिक लगान से (पचास गुना) तक हो सकती है। (2) उपधारा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

(1) के अन्तर्गत दिए जाने वाले आवेदन पत्र पर जांच अतिक्रमण के आरोपी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् संक्षिप्त रूप में की जायेगी और यावत् साध्य विहित कालावधि के भीतर समाप्त की जायेगी।'' हस्तगत प्रकरण में जेर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है तथा कानूनन अनुसूचित जाति के व्यक्ति के हितों की रक्षा करना ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) की मंशा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 03/2016 बअनवान कानाराम बनाम भलाराम अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 07/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली